

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः— मुसप्र/2016/695

दिनांकः— २५/१०/१६

आदेश

चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में रिक्त पड़े विभिन्न श्रेणी के 15 स्वतंत्र आवास जो पूर्व में मण्डल कर्मचारियों को रेच्टल योजना अन्तर्गत आवंटित किये गये थे, को मण्डल की बोर्ड बैठक 229.21 दिनांक 27.01.16 में लिये गये निर्णय एवं उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय, जोधपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय एवं मुख्य अभियन्ता द्वितीय से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंषा अनुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण करने की स्वीकृति एतद्वारा निर्देशानुसार प्रदान की जाती है, निस्तारण किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	श्रेणी	मकान नं.	मकानों की संख्या
1	EWS	4-द-16	1
2	LIG	4/ 284, 18 ई/ 176, 21 ई/ 409, 21 ई/ 414	4
3	MIG-A	8/ 397, 11/ 479, 15/ 266, 15/ 272	4
4	MIG-B	15/ 279, 15/ 286, 17-ई/ 378, 17-ई/ 432, 18/ 25, 18/ 26	6
		कुल	15

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त—जोधपुर निम्न शर्तों के आधार पर नीलामी योजना से आवासों का निस्तारण करना सुनिश्चित करे :—


1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास नीलामी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. आवासों का निस्तारण नीलामी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है।
6. उक्त समस्त प्रक्रिया दो माह में सम्पादित करें।

उक्त आदेशों को कार्यालय टिप्पणी पैरा संख्या 51/एन पर माननीय अध्यक्ष मंहोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव—अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता—प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय रा० आ० मा०, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त—द्वितीय, रा०आ०म० जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, रा०आ०म० जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक(मु०)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/ 748

दिनांक: 16/11/16

संशोधित आदेश

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2016/695 दिनांक 24.10.2016 के द्वारा चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में रिक्त पड़े विभिन्न श्रेणी के 15 स्वतंत्र आवासों को नीलामी के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी सारणी के क्रम सं. 2 पर दर्शाए गए आवास सं. 4/284 अल्प आयवर्ग के स्थान पर 8/284 पढ़ा जावे।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता—प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय रा० आ० मा०, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त—द्वितीय, रा०आ०म० जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, रा०आ०म० जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक(मु०)